

संख्या: फिन-ए-ए(4)-1/2020
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (बजट) विभाग

प्रेषक:

प्रधान सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित:

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 2 समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
- 3 प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003.
- 4 प्रधान महालेखाकार (ले० व ह०), हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003.

दिनांक शिमला 171002, फरवरी 17, 2025

विषय: वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान दत्तमत अनुदानों/प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय का नियमितिकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान दत्तमत अनुदानों/प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय का नियमितिकरण राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 34), जो दिनांक 19-12-2024 को विधान सभा में पुरःस्थापित तथा 20-12-2024 को पारित किया गया है, के द्वारा कर दिया गया है। यह विधेयक हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र के दिनांक 01-02-2025 के अंक में वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 3 के रूप में प्रकाशित हो चुका है।

भवदीय,


(प्रदीप कुमार)


संयुक्त सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: फिन-ए-ए(4)-1/2020

दिनांक : शिमला 171002, फरवरी 17, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:

1. संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार को अधिसूचना संख्या: एल०एल०आर०-डी०(६)-४२/२०२४-लेज दिनांक 28-01-2025 के संदर्भ में।
2. अनुभाग अधिकारी, वित्त-डी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला 171102.


(प्रदीप कुमार)

संयुक्त सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।